Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 70 /2024

Hasib & Anr. .....Appellant

Versus

Takvir Alam .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.11.2024	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी, पूर्णिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–38/2023–24 मे दिनांक–15.03.2024 को पारित आदे" । के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित। सुना। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–हबडांग, खाता संख्या–83, खेसरा संख्या–639, रकवा–12 डी0 विवादित भूमि है, जिसका चौहद्दी उत्तर–चमरू, दक्षिण–मु" ताक, पूरब–इकबाल, पि" चम–तनजील है। प्र" नगत भूमि का मापी कराते हुए दखल–कब्जा दिलाने हेतु प्रस्तुत वाद दायर किया गया है। उक्त विवादग्रस्त भूमि का निगरन, पति–सरफुद्दीन के नाम से आर0एस0 खतियान दर्ज है। जिनके मृत्योपारांत उनके वारि" ान मो0 मोजिबुर ने अपने अं" । में प्राप्त 12 डी0 भूमि उत्तरवादी तकवीर आलम, पिता–स्व0 अब्दुल रसीद को दिनांक–17.01.2001 को बिक्री कर दिया, जिसका वे नामांतरण कराते हुए उक्त भूमि पर दखलकार हुए। कालांतर में उत्तरवादी को 5 डी0 भूमि अतिक्रमित होने की बात का पता चलने पर तत्काल इनके द्वारा उक्त के संबंध में पंचायत बुलाई गई, किन्तु कोई परिणाम नहीं निकलने के कारण उत्तरवादी ने अंचलाधिकारी, बायसी के समक्ष मापी वाद संख्या–56/19–20 दायर किया। इसमें पारित आदे" । के विरूद्ध अपीलार्थी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी, पूर्णिया के न्यायालय में मापी अपील वाद संख्या–01/21 दायर किया गया, जो खारिज हो गया। तत्प" चात उत्तरवादी (निम्न न्यायालय में अपीलार्थी) द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी, पूर्णिया के न्यायालय में बी0एल0डी0आर0 वाद संख्या–38/23–24 दायर किया गया, जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी ने बिना यथोचित जाँच कराये तथा बिना तथ्यों को समझे उत्तरवादी के पक्ष में आदे" । पारित कर दिया गया। उक्त आदे" । से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में वाद दायर किया गया है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदे" । विधि की दृश्टि से पोशणीय नहीं है। अपीलार्थी एक गरीब आदमी है, अपनी खरीद किये गये भूमि पर मकान बनाकर रह रहे है। अपीलार्थी **क्रमशः**	

Web copy. Not official.

	<u>लगातार</u> 18.11.2024	तथा उत्तरवादी दोनों के खरीदगी भूमि के बीच ग्रामीण सड़क है। फलस्वरूप इनके उपर अतिक्रमण का आरोप झूठा व मनगढंत है। अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में प्रस्तुत किये गये आव" यक साक्ष्य एवं उनके द्वारा प्र" नगत जमीन के भौतिक जाँच संबंधी अनुरोध पर भी विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी बिक्रय संलेख के अनुसार अपने भूमि पर दखलकार हैं। निम्न न्यायालय के न्याय निर्णय से व्यथित होकर इनके द्वारा अनुमंडल लोक f" ाकायत निवारण, बायसी में अनन्य संख्या–509410113062303902 दायर किया गया, जिसपर दिनांक–02.08.2023 को सुनवाई करते हुए अंचलाधिकारी, बायसी द्वारा अपीलार्थी के भूमि को सही से मापी करने का निदे" ा दिया गया, किन्तु बी0एल0डी0आर0 वाद संख्या–38/23–24 में पारित आदे" ा के आलोक में लोक f" ाकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदे" ा का अनुपालन नहीं किया गया। जिससे आहत होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत वाद दायर किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से प्रस्तुत अपील वाद को स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील वाद न्यायिक दृश्टिकोण से पोशणीय नहीं है। उत्तरवादी द्वारा मौजा–हबडांग, थाना नं0–475, आर0एस0 खाता–83, खेसरा–639/796 एवं 639 में से 12 डी0 भूमि मोजिबुर रहमान से बिक्रय संलेख संख्या–2345 दिनांक–17.02.2001 खरीदा गया। जिसमें से दक्षिण तरफ की 05 डी0 भूमि अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है। सर्वप्रथम मापी वाद संख्या–56/2019–20 में पारित आदे" ा के आलोक में अंचल अमीन द्वारा उभय पक्षों व पंचों के उपस्थिति में भूमि मापी कर सभी के हस्ताक्षर युक्त प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें यह स्पश्ट उल्लिखित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा दक्षिण तरफ से उत्तरवादी का 05 डी0 भूमि अतिक्रमित किये हुए है। बावजूद उसे खाली करने से इंकार करते हुए अपीलार्थी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी के न्यायालय में मापी अपील वाद संख्या–01/2021 दायर कर दिया गया, जो खारिज कर दिया गया। उत्तरवादी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी के न्यायालय में बी0एल0डी0आर0 वाद संख्या–38/23–24 दायर किया गया, जिसमें यह उल्लिखित करते हुए आदे" ा पारित किया गया है कि ''पूर्व में ही उत्तरवादी द्वारा दायर मापी अपील खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार यह स्पश्ट हो जाता है कि उत्तरवादी (इस न्यायालय में अपीलार्थी) द्वारा अपीलार्थी (इस न्यायालय में उत्तरवादी) के प्र" नगत भूमि के 05 डी0 भूमि पर अवैध कब्जा है''। जिसे सीमांकन कराते हुए उत्तरवादी (निम्न न्यायालय में अपीलार्थी) के अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने हेतु अंचलाधिकारी, बायसी को यथोचित कदम उठाने हेतु निदे" ित है। जिससे स्पश्ट हो जाता है कि निम्न न्यायालय के आदे" ा में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आव" यकता नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गयी है। उभय पक्षों को सुनने, अभिलेख में संलग्न सुसंगत कागजातों तथा निम्न न्यायालय आदे" ा के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पश्ट होता	

Web copy. Not official.

	<u>लगातार</u> 18.11.2024	है **क्रमशः** कि मौजा–हबडांग, खाता संख्या–83, खेसरा संख्या–639/796 एवं 639, रकवा–12 डी0 भूमि जो उत्तरवादी द्वारा विक्रय संलेख से खरीद किया गया है, जिसमें से 05 डी0 भूमि को लेकर विवाद है। उत्तरवादी ने अंचलाधिकारी, बायसी के समक्ष मापी अभिलेख संख्या–56/19–20 दायर किया, जिसके आलोक में अंचल अमीन द्वारा भू–मापी कर अपीलार्थी द्वारा 05 डी0 भूमि अतिक्रमित किये जाने संबंधी उभय पक्ष व ग्रामीणों/जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उनका हस्ताक्षर युक्त प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिससे स्पश्ट होता है कि उभय पक्ष उक्त मापी से संतुश्ट थे। इसी आधार पर अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी के न्यायालय में दायर मापी अपील वाद संख्या–01/21 को खारिज कर दिया गया, जो युक्ति संगत है। मापी के उपरांत उत्तरवादी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी के न्यायालय में भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या–38/23–24 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–15.03.2024 को पारित आदे" ा में मापी अभिलेख संख्या–56/19–20 का जिक्र करते हुए अपीलार्थी के कब्जे वाली उत्तरवादी के 05 डी0 भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने संबंधी आदे" ा पारित किया गया है, जो सही है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आव" यकता प्रतीत नहीं होती है। इसी के साथ अपील वाद को अस्वीकत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदे" ा की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web copy. Not official.

Web copy. Not official.